

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 82]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 26 फरवरी 2020—फाल्गुन 7, शक 1941

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2020

क्रमांक एफ 11-02/2020/सत्रह/मेडि-2, मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 2017 (2017 का 16) की धारा 23, 24 एवं 25 के साथ पठित धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, ओमबड्समेन की नियुक्ति, निबंधनों तथा शर्तों, अर्हताओं तथा जांच की रीति के संबंध में राज्य सरकार, एतद द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

नियम अध्याय-एक प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (ओमबड्समेन एवं विधिक कार्यवाही) नियम, 2019 है।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में होगा।
- (3) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :-

- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -
 - (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 2017 (2017 का 16).
 - (ख) जब तक कि अन्यथा अधिसूचित न हो "समुचित प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, केन्द्र सरकार स्तर पर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन एवं राज्य सरकार स्तर पर मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति ;
 - (ग) "उच्च भारत जिलों" से अभिप्रेत है, केन्द्र सरकार के अधीन समुचित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर ऐसे अधिसूचित जिले ;
 - (घ) "ओम्बड्समेन" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 23 के अधीन राज्य सरकार द्वारा यथास्थिति नियुक्त या पदाभिहित कोई अधिकारी;
- (2) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उन्हें उनके लिए समनुदेशित किए गए हैं।

अध्याय - दो

एच.आई.व्ही/एड्स/ए.आर.टी (एन्टी रेट्रोवाइरल उपचार) नैदानिक सुविधाओं के उपबंध

3. अवसरवादी संक्रमण प्रबंधन :-

- (1) राज्य सरकार नागरिकों को शासकीय स्वास्थ्य केन्द्रों में निषुल्क नैदानिक सेवा उपलब्ध कराएगी। एन.ए.सी.ओ (राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार), तकनीकी सहयोग एवं जांच किट उपलब्ध कराएगी। राज्य सरकार इसकी मॉनिटरिंग करने तथा एन.ए.सी.ओ. द्वारा किट्स की उपलब्धता में कमी तथा अन्तर होने पर उसकी आपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (2) राज्य सरकार, महिलाओं एवं बच्चों सहित सभी एच.आई.व्ही./एड्स संक्रमित लोगों को निःशुल्क ए.आर.टी दवाएं एवं आवश्यक नैदानिक सुविधाएं ए.आर.टी. केन्द्र/लोक ए.आर.टी.केन्द्रों/शासकीय स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से उपलब्ध कराएगी तथा अवसरवादी संक्रमणों का प्रबंधन भी राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार शासकीय स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराएगी। एन.ए.सी.ओ. (राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा राज्य को तकनीकी सहायता, परीक्षण किट और ए.आर.टी दवाएं प्रदान करेगी। जब राज्य सरकार मॉनिटर करने और एन.ए.सी.ओ. से आपूर्ति करने में कोई अंतराल या कमी होती है तो किट तथा ए.आर.टी दवाएं उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगी।

अध्याय-तीन

4. ओमबड्समेन की नियुक्ति एवं अधिकारिता.-

(1) जिला शिकायत अधिकारी.-

(एक) जिला स्तर पर जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पदेन जिला शिकायत अधिकारी होगा। जिला शिकायत अधिकारी पहले शिकायत का परीक्षण करेगा और शिकायत की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर मुद्दे के निराकरण का प्रयास करेगा अन्यथा शिकायत ओमबड्समेन को अग्रोषित की जाएगी।

(दो) शिकायत सीधे ओमबड्समेन को भी प्रेषित की जा सकेगी।

(2) ओमबड्समेन :-

राज्य सरकार, मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति के परियोजना संचालक को ओमबड्समेन के रूप में पदाभिहित करेगा। यदि मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति के अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होती है, तो ऐसी दशा में सचिव, स्वास्थ्य, ओमबड्समेन होंगे। यदि शिकायतकर्ता ओमबड्समेन की कार्यवाही या विनिश्चय से संतुष्ट नहीं है तो ऐसी दशा में सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, अपील प्राधिकारी भी होंगे।

5. ओमबड्समेन की अर्हता एवं अनुभव.-

- (1) क्योंकि परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति पदेन ओमबड्समेन होगा, अतएव पृथक से ब्यौरे अपेक्षित नहीं होंगे।
- (2) जहां तक कि क्षमता निर्माण और संवेदीकरण का संबंध है, ओमबड्समेन की नियुक्ति के नब्बे दिवस के भीतर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ओमबड्समेन की क्षमता निर्माण के लिए उत्तरदायी होगा।

6. ओमबड्समेन की सेवाओं के निबंधन एवं शर्त :-

- (1) राज्य सरकार के सिविल सेवा नियम लागू होंगे।
- (2) ओमबड्समेन की अधिकारिता संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगी।
- (3) ओमबड्समेन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन का भाग होगा।
- (4) विधि और विधायी कार्य विभाग, मध्यप्रदेश शासन, ओमबड्समेन को जब और जैसी आवश्यकता हो, विधिक मार्गदर्शन उपलब्ध कराएगा।

7. ओमबड्समेन द्वारा शिकायतों में जांच करने की रीति.-

- (1) जब शिकायतों में जांच, अधिनियम के अधीन की जा रही हो, तो ओमबड्समेन उद्देश्य एवं स्वतंत्र तरीके से कार्य करेगा।
- (2) अधिनियम के अधीन शिकायतों की जांच करते समय, ओमबड्समेन, साक्ष्य के किन्हीं नियमों से बाध्य नहीं होगा और वह ऐसी कार्यवाही कर सकता है जैसी कि न्यायसंगत एवं उपयुक्त समझे।
- (3) ओमबड्समेन, न्याय हित में, संरक्षित व्यक्ति और एच.आई.व्ही. के प्रति अतिसंवेदनशील व्यक्ति, एच.आई.व्ही और एड्स के क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य या स्वास्थ्य वितरण प्रणाली के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए विशेषज्ञों की सहायता ले सकता है।

- (4) ओमबड्समेन को आपात्कालीन चिकित्सीय मामलों में पक्षकारों को सुनवाई के बिना अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति होगी।
- (5) ओमबड्समेन को आदेशों को पारित करने की शक्तियां होगी। जिसमें वापस लेने अतिलंघन के सुधार करने, परामर्श देने, समाज सेवा करने आदि सम्मिलित है।
- (6) ओमबड्समेन की गई कार्रवाई की सूचना शिकायतकर्ता को देगा।
- (7) ओमबड्समेन शिकायत के पक्षकारों को सूचित करेगा कि उन्हें ओमबड्समेन के आदेश से न्यायिक पुनर्विलोकन मांगने का अधिकार है।
- (8) यदि जांच के दौरान या उसके पश्चात् यह पाया जाता है कि की गई शिकायत फर्जी है, तो शिकायतकर्ता को लोकपाल/जिला शिकायत अधिकारी के समक्ष दूसरे पक्षकार को माफीनामा देने के लिए एक टीप प्रस्तुत करनी होगी।

8. ओमबड्समेन द्वारा अभिलेखों का संधारण करने की रीति:-

(1) ओमबड्समेन द्वारा-

- (क) शिकायत प्राप्त होने पर, सिर्फ यह उस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से संधारित किए गए रजिस्टर में एक अनुक्रमिक विशिष्ट शिकायत क्रमांक प्रदान किया जाकर भौतिक या कम्प्यूटरीकृत/इलेक्ट्रॉनिक रूप में अभिलिखित किया जाएगा।
 - (ख) शिकायत प्राप्त होने पर, जहां उपलब्ध हो, एसएमएस/ ईमेल द्वारा, शिकायतकर्ता को विशिष्ट शिकायत क्रमांक भेजकर उसकी अभिस्वीकृति प्रदान करेगा;
 - (ग) शिकायत का समय और शिकायत पर की गयी कार्रवाई रजिस्टर में अभिलिखित करेगा", और -
 - (घ) शिकायतों के रजिस्टर का संधारण इस रीति से किया जाएगा, कि डाटा की गोपनीयता सुनिश्चित होती हो।
- (2) ओमबड्समेन अधिनियम की धारा 11 के अनुसार डाटा संरक्षण उपायों का अनुपालन करेगा।

9. ओमबड्समेन को शिकायत करने की रीति :-

- (1) कोई व्यक्ति, अधिनियम के कथित अतिक्रमण का पता चलने की तारीख से तीन मास के भीतर ओमबड्समेन को शिकायत कर सकेगा।

परंतु ओमबड्समेन, लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से विलंब को तीन मास की और कालावधि के लिए क्षमा कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि परिस्थितियों ने विहित कालावधि के भीतर शिकायत करने से शिकायतकर्ता निवारित हो गया था।

- (2) ओमबड्समेन को समस्त शिकायतें इन नियमों के परिशिष्ट में दिए गए प्रारूप के अनुसार लिखित में दी जाएंगी।

परन्तु यह कि जहां शिकायत लिखित में नहीं की जा सकती है, वहां ओमबड्समेन, शिकायतकर्ता को लिखित में शिकायत करने हेतु समस्त उपयुक्त सहायता सौंपेगा।

- (3) चिकित्सीय आपात् की दशा में, ओमबड्समेन या उसके सहायक, शिकायतकर्ता से कथित अतिलंघन या किसी अन्य सुविधाजनक स्थान पर मिल सकेगा जिससे शिकायत को लिखित दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जा सकेगा।

- (4) ओमबड्समेन, किसी व्यक्ति की शिकायत को ओमबड्समेन की वेबसाईट के माध्यम से डाक से या इलेक्ट्रॉनिक रीति के माध्यम से प्राप्त कर सकता है।

परन्तु राज्य सरकार, ओमबड्समेन की एक वेबसाईट स्थापित करेगा।

10. राज्य सरकार द्वारा ओमबड्समेन पर जानकारी का प्रसार करना :-

- (1) ओमबड्समेन की नियुक्ति/पदाभिहित करने के तीस दिवस के भीतर, राज्य सरकार के अधीन समुचित प्राधिकारी, ओमबड्समेन के कार्यालय, ओमबड्समेन की क्षेत्राधिकारिता, भूमिका, कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया के बारे में तथा वह रीति जिसमें ओमबड्समेन को शिकायतें की जा सकती हैं को सम्मिलित करते हुए जानकारी का प्रसार करेगा।
- (2) उक्त प्रसार विशेष रूप से संरक्षित व्यक्तियों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, विधिक सहायता सेवा प्राधिकारियों एवं नागरिक प्राधिकारियों की जानकारी बढ़ाने के लिए किया जाएगा।

11. विधिक कार्यवाहियों में छद्मनाम को अभिलिखित करने की रीति एवं पहचान के छिपाने के उपबंध:-

- (1) किसी विधिक कार्यवाही में, जहां न्यायालय, अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अनुसार किसी संरक्षित व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर न्यायहित में कार्यवाही या उसके किसी भाग में ऐसे संरक्षित व्यक्ति की पहचान को छिपाकर संचालित किया जाएगा, न्यायालय के रजिस्ट्रार इसमें अंतर्गस्त सभी पक्षकारों को निर्देश देंगे कि -

(एक) न्यायालय के समक्ष संबंधित पक्षकारों के पूरे नाम, पहचान और पहचान के ब्यौरे देने वाले दस्तावेजों की एक प्रति, जो एक सीलबंद कवर में पंजीयक तथा रजिस्ट्रार के पास सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाएगी, और

(दो) कार्यवाहियों में पक्षकारों से संबंधित पक्षकारों के पूरे नाम, पहचान और पहचान के ब्यौरे देने वाले दस्तावेजों की एक प्रति प्रदान की जाएगी,। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि संबंधित पक्षकारों के पूरे नाम और पहचान गोपनीय रखे जाएं।

- (2) पंजीयक, न्यायालय के समक्ष दायर दस्तावेज में विधिक कार्यवाहियों में अंतर्गस्त संरक्षित व्यक्तियों को छद्मनाम प्रदान करेगा, विधिक कार्यवाहियों में अंतर्गस्त संरक्षित व्यक्ति की पहचान और पहचान के ब्यौरे गोपनीय रखे जाएंगे।

- (3) पंजीयक, प्रथम तारीख को न्यायालय के समक्ष सील बंद दस्तावेज प्रस्तुत करेगा। विधिक कार्यवाहियां न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जाएगी यदि न्यायालय द्वारा ऐसा अपेक्षित हो।

- (4) विधिक कार्यवाहियों में अंतर्गस्त संरक्षित व्यक्ति की पहचान एवं उसके पहचान के ब्यौरे न्यायालय द्वारा विधिक कार्यवाहियों के संबंध में सभी दस्तावेज न्यायालय के प्रकरण की सूची, अंतरिम आदेश एवं अंतिम निर्णय सहित छद्मनाम से प्रदर्शित किए जाएंगे।

- (5) विधिक कार्यवाहियों में अंतर्ग्रस्त संरक्षित व्यक्ति की पहचान एवं उसके पहचान के ब्यौरे, सहायक और कर्मचारिवृन्द सहित किसी भी व्यक्ति या उनके प्रतिनिधियों द्वारा प्रकट नहीं किए जाएंगे।

अपवाद : न्यायहित में यदि किसी संरक्षित व्यक्ति का नाम एवं पहचान तृतीय पक्षकार को प्रकट करने की आवश्यकता होती है, तो यह अनुमति केवल न्यायालय के आदेश द्वारा ही अनुज्ञात की जाएगी।

- (6) पूर्वकथित विधिक कार्यवाहियों के संबंध में किसी भी सामग्री का मुद्रण या प्रकाशन इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य प्रारूप में केवल तब ही विधिपूर्ण होगा, यदि जब विधिक कार्यवाहियों में पक्षकारों की पहचान को छिपाना सुनिश्चित हो।
- (7) अधिनियम के अधीन किन्हीं विधिक कार्यवाहियों में, न्यायालय, अधिनियम की धारा 11 के अनुसार डाटा संरक्षण उपार्यों का अनुपालन करेगा।

परिशिष्ट

(नियम 9 (2) देखिए)

नियम 9 के अधीन ओमबड्समेन को शिकायत करने के लिए प्रारूप

1. घटना की दिनांक
2. घटना का स्थान
3. घटना का विवरण
4. घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति/संस्था -
शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी
नाम:
- दिनांक:
- मोबाइल नंबर/ ईमेल/फैक्स/पता:

केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु:

विशिष्ट शिकायत क्रमांक:

जहां शिकायत टेलीफोन से प्राप्त हुई हो एवं संक्षेप में ओमबड्समेन द्वारा लिखा गया हो, ओमबड्समेन प्रारूप पर हस्ताक्षर करेगा।

. F-11-02/2020/17/M-2, In exercise of the powers conferred by Section 49 read with Sections 23, 24 and 25 of the Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome (Prevention And Control) Act, 2017 (No. of 2017), with regard to appointment, terms and conditions, qualifications and manner of inquiry of Ombudsman, the State Government, hereby, makes the following rules, namely:-

RULES

CHAPTER-I

PRELIMINARY

Short title, extent and commencement.-

- (1) These Rules shall be called the Madhya Pradesh Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome (Ombudsman and Legal Proceedings) Rules, 2019.
- (2) It extends to the whole of the State of Madhya Pradesh.
- (3) These Rules shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Definitions.-

1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Act" means the Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome (Prevention and Control) Act, 2017 (No. 16 of 2017);
- (b) "Appropriate authority" means, unless otherwise notified, the National AIDS Control Organisation in the case of the Central Government and Madhya Pradesh State AIDS Control Society in case of the State Government;
- (c) "High burden districts" means districts notified as such by the appropriate authority under the Central Government from time to time;
- (d) "Ombudsman" means an Officer appointed or designated by the State Government, as the case may be, under section 23 of the Act;

- (2) The words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meanings as assigned to them in the Act.

CHAPTER-II

Provision of Diagnostic Facilities of HIV/AIDS, ART

(Anti Retroviral Treatment)

3. Opportunistic Infections management.-

- (1) The State Government shall provide free diagnostic services to citizens in Government Health facilities. NACO (National AIDS Control Organization, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India) shall provide technical support and testing kits. The State Government shall be responsible to monitor and to provide kits while there is any gap and shortage in supply from NACO.
- (2) The State Government shall provide free of cost ART drugs and necessary diagnostics facilities to People living with HIV/AIDS including women and children through ART Center / Link Art Centers / Government Health facilities and management of Opportunistic Infections shall also be provided at Government Health Service centres in accordance with the guidelines issued by the National AIDS Control Organisation, MOHFPW, New Delhi. NACO (National AIDS Control Organization, Ministry of Public Health and Family Welfare, Government of India) shall provide technical support, testing kits and ART Drugs to the State. The State Government shall be responsible to monitor and to provide kits and ART Drugs while there is any gap and shortage in supply from NACO.

CHAPTER - III

4. Appointment & Jurisdiction of Ombudsman.-

(1) District Complaint Officer-

- (i) At district level District Chief Medical and Health Officer shall be ex-officio District Complaint officer. District Complaint officer shall first examine the complaint and shall try to sort out the issue within 30 days of receipt of complaint. Otherwise complaint shall be forwarded to the Ombudsman.
- (ii) Complaints can also be directly sent to Ombudsman.

(2) Ombudsman-

The State government shall designate Project Director of MPSACS as Ombudsman. In case, the complaint is received against the MPSACS official, the Secretary Health shall be the Ombudsman. Secretary, Department of Health and Family Welfare shall also be appellate authority in case the complainant is not satisfied with the process or decision of the Ombudsman.

5. Qualification and experience of Ombudsman.-

- (1) Since the Project Director, MPSACS shall be the ex-officio Ombudsman therefore no separate details shall be required.
- (2) As regards the Capacity Building and sensitisation is concerned, within ninety days of appointment of the Ombudsman, National AIDS Control Organization, Ministry of Health and Family Welfare, GOI shall be responsible for capacity building of Ombudsman.

6. Terms and conditions of services of Ombudsman.-

- (1) Civil Services Rules of State Government shall be applicable.
- (2) Jurisdiction of the Ombudsman shall be whole of the State of Madhya Pradesh.
- (3) Ombudsman shall be part of Department of Public Health and Family Welfare, Government of Madhya Pradesh.
- (4) Law and Legislative Affairs Department, Government of Madhya Pradesh shall provide legal guidance to the Ombudsman as and when required.

7. Manner of inquiring into complaints by Ombudsman.-

- (1) The Ombudsman shall act in an objective and independent manner when inquiring into complaints made under the Act.
- (2) While inquiring into complaints under the Act, the Ombudsman shall not be bound by any rules of evidence and may follow such procedure as considered just and proper.
- (3) The Ombudsman may, in the interest of justice, take the assistance of experts, including protected persons and persons vulnerable to HIV, persons working in the fields of HIV and AIDS, public health or health delivery systems.

205

- (4) The Ombudsman shall have the power to pass interim orders in cases of medical emergency without hearing the parties.
- (5) The Ombudsman shall have the power to pass orders, including withdrawal and rectification of the violation, counselling, social service etc.
- (6) The Ombudsman shall inform to the complainant of the action taken.
- (7) The Ombudsman shall inform to the parties to the complaint of their right to seek judicial review from the Ombudsman's order.
- (8) If it is found during or after the enquiry that the complaint is fake, the complainant has to submit a note of forgiveness to the second party in front of Ombudsman/ District Complaint Officer.

8. Manner of maintaining records by Ombudsman :-

- (1) The Ombudsman shall-
 - (a) on receipt of a complaint, record it by assigning a sequential unique complaint number in a register maintained solely for that purpose in physical or computerized / electronic form;
 - (b) on receipt of the complaint, acknowledge it by sending the unique complaint number by post/SMS/ e-mail to the complainant where available;
 - (c) record the time of the complaint and the action taken on the complaint in the register; and
 - (d) maintain the register of complaints in a manner that ensures confidentiality of data.
- (2) The Ombudsman shall comply with data protection measures in accordance with section 11 of the Act.

9. Manner of making complaints to Ombudsman :-

- (1) Any person may make a complaint to the Ombudsman within three months from the date, the person making the complaint became aware of the alleged violation of the Act:

Provided that the Ombudsman may, for reasons to be recorded in writing, condone delay by a further period of three months, if she/he is satisfied that circumstances prevented the complainant from making the complaint within the stipulated period.

- (2) All complaints shall be made to the Ombudsman in writing in accordance with the form set out in the Appendix to the Rules:

Provided that where a complaint cannot be made in writing, the Ombudsman shall render all reasonable assistance to the complainant to produce the complaint in writing.

- (3) In cases of medical emergency, the Ombudsman or his assistant may visit the complainant at the location of the alleged violation or any other convenient place to enable written documentation of the complaint.
- (4) The Ombudsman may receive complaints made in person, via post or through electronic form through the Ombudsman's website:

Provided that the State Government shall establish a website of the Ombudsman.

10. State Government to disseminate information on Ombudsman.-

- (1) Within thirty days of the appointment/designation of the Ombudsman, the appropriate authority under the State Government shall disseminate information about the office of the Ombudsman, including the Ombudsman's jurisdiction, role, functioning and procedures, and the manner in which complaints can be made to the Ombudsman.
- (2) Such dissemination shall be undertaken to advance the understanding, in particular, of protected persons, healthcare workers, legal aid service authorities and civil authorities.

11. Manner of recording pseudonym and providing suppression of identity in legal proceedings.-

- (1) In any legal proceeding where a court, pursuant to clause (a) of sub-section (1) of section 34 of the Act directs, on an application made by a protected person or any other person, that in the interests of justice the proceeding or any part thereof be conducted by suppressing the identity of such protected person, the Registrar of the court shall direct all parties involved to-

- (i) file one copy of the documents bearing the full name, identity and identifying details of the parties concerned before the Court, which shall be kept in a sealed cover and in safe custody with the Registrar; and
 - (ii) serve one copy of documents bearing the full name, identity and identifying details of the parties concerned upon other parties in the proceeding with a requirement to ensure that the full name and identity of the parties concerned are kept confidential.
- (2) The Registrar shall provide pseudonyms to protected persons involved in the legal proceedings in the documents filed before the court in such manner that the identity and identifying details of the protected person involved in the legal proceeding are kept confidential.
 - (3) The Registrar shall place the sealed covered documents before the Court on the first date. The legal proceeding shall be listed for hearing before the Court, if so required by the Court.
 - (4) The identities of the protected person involved in the legal proceeding and their identifying details shall be displayed in pseudonym in all documentation generated by the Court in relation to the legal proceeding, including listing of the case on the Court, interim orders and final judgments.
 - (5) The identity and identifying details of the protected person involved in the legal proceeding shall not be revealed by any person or their representatives including assistants and staff.

Exception: Where in the interest of justice the name and identity of the protected person needs to be revealed to a third party, it shall only be allowed by an order of the Court.
 - (6) Printing or publishing any matter in relation to the aforementioned legal proceedings in electronic or any other form, shall be lawful only if the same is done by ensuring the suppression of identities of the parties in the legal proceeding.

- (7) In any legal proceeding under the Act, the Court shall comply with data protection measures in accordance with section 11 of the Act.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. सुनहरे, उपसचिव.

APPENDI

[See rule 9 (2)]

Form for making Complaint to Ombudsman under Rule 9

1. Date of Incident _____
2. Place of Incident _____
3. Description of incident _____
4. Person/ Institution responsible for the incident _____

Signature/ Thumb Impression of Complainant*

Name:

Date:

Mobile No./email/Fax/Address:

For Official Use only:

Unique Complaint Number: _____

***Where the complaint is received telephonically and reduced to writing, the Ombudsman, the Ombudsman shall sign the Form**